राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

<u>आदेश</u>

इन्द्राज बनाम स्टेट आफ राजस्थान

एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 567/1999 अन्तर्गत धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरुद्व निर्णय दिनांक 10.8.1999, जो कि अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा फौजदारी अपील संख्या 15/96 में पारित किया गया एवं जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील को निरस्त करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.9.96 की पुष्टि की गयी। विचारण न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत उसे धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी घोषित करते हुए इस अपराध के लिये 6 माह के कठोर कारावास व 500/- रुपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया।

आदेश दिनांक मार्च 31, 2009

<u>उपस्थित:</u>
<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा</u>

श्री अश्विन गर्ग अधिवक्ता (प्रार्थी)
श्री अवधेश पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री पीयूष कुमार, लोक अभियोजक।

<u>न्यायालय द्वारा:</u>

प्रार्थी की ओर से यह दांडिक निगरानी याचिका अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, खेतड़ी द्वारा फौजदारी अपील संख्या 15/96 में पारित निर्णय दिनांक 10.8.99 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील को निरस्त करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.9.96 की पुष्टि की गयी। विचारण न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत उसे धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी घोषित करते हुए इस अपराध के लिये 6 माह के कठोर कारावास व 500/- रुपये अर्थदण्ड एवं

अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के साधारण कारावास से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश पुरोहित ने इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि वे प्रार्थी की दोषसिद्वि के आदेश को चुनौती नहीं देते हैं किन्तु चूंकि प्रार्थी पूर्व में 15 दिन अभिरक्षा में रह चुका है, उसकी उम्र लगभग 67 वर्ष से अधिक की हो चुकी है, उसके विवाह योग्य पौत्र एवं पौत्रियां है और उसके खिलाफ मामला लगभग 27 वर्ष से लंबित है जिससे वह इतनी लम्बी अवधि से इस मामले की पीड़ा को भुगत रहा है, जिससे उसे धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे। उनकी यह भी प्रार्थना है कि यदि यह न्यायालय प्रार्थी को इन दोनों ही लाभों में से किसी लाभ से लाभान्वित करना उपयुक्त नहीं समझती है तो उसे इस मामले में भुगती हुई सजा पर छोड़ा जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रार्थना का घोर विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने एवं इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखने के उपरान्त मैं प्रार्थी को भुगती हुई सजा पर छोड़ना उपयुक्त समझता हूं।

अत: अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी की दोषसिद्वि के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे दी गयी कारावास की सजा के स्थान पर उसके द्वारा भुगती हुई सजा पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दांडिक निगरानी याचिका इसी प्रकार आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश